

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Friday, 16 March 2018 / 25 Phalgun 1939 (Saka)

No. 66
02.08 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair
National Song (Vande Mataram)

1. 2.09 PM **Obituary References :**
The House paid homage and observed two minute silence on:
 1. The killing of Nine CRPF soldiers in the Naxalite attack in Sukma, Chhattisgarh on 13 March 2018 and Army soldiers Jammu & Kashmir.
 2. The sad demise of Stephen Hawking, renowned physicist.
2. 2.12 PM **Paper laid on the Table :**
Secretary, Legislative Assembly laid on the Table of the House, a copy of English & Hindi versions of the address delivered by Hon'ble Lieutenant Governor.
3. 2.13 PM **Motion of Thanks on Hon'ble Lt. Governor's Address:**
Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of PWD moved the following Motion:
"That this House expresses its gratitude to Hon'ble Lt. Governor for his address delivered to the Assembly on 16 March 2018."
Shri Girish Soni seconded the Motion.
4. 2.14 PM **Ruling of the Chair regarding Shri Kailash Gahlot continuing as Minister:**
On the objection of the opposition members regarding Shri Kailash Gahlot continuing as Minister in spite of being disqualified, the Chair ruled that as per Constitutional provisions read with the Section 43(2) of the GNCTD Act, 1991, Shri Kailash Gahlot could continue up to six months as Minister without being a Member of the House. He informed the Members that the Hon'ble Supreme Court had also upheld this position and hence there was no grounds to prevent Shri Kailash Gahlot continuing as a Minister.
5. 2.28 PM **Presentation of Reports :**
 - I. **Ms. Rakhi Birla** presented the '**Second Report of the Business Advisory Committee**' on the Table of House.
 - II. **Ms. Rakhi Birla** presented the '**Third Report of the Private Members' Bills & Resolutions Committee**' on the Table of House.
6. 2.30 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**
Shri Saurabh Bharadwaj initiated short duration discussion on '**suffering caused to people of Delhi due to sealing of premises and Police brutality during the Sealing processes.**
The following members participated in the discussion :-
 1. Shri Vishesh Ravi
 2. Shri Pankaj Pushkar
 3. Shri Akhilesh Pati Tripathi
 4. Shri Somnath Bharti
 5. Shri Manjinder Singh Sirsa
 6. Shri Narayan Dutt Sharma
 7. Shri Rituraj Govind
 8. Shri Mohinder Goyal
 9. Smt. Bandana Kumari
 10. Shri Gulab Singh
 11. Smt. Pramila Tokas
 12. Shri Jagdish Pradhan
 13. Shri Jitender Singh Tomar
 14. Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker
 15. Shri Ajay Dutt
 16. Shri Rajender Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare
 17. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
 18. Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Labour**Shri Arvind Kejriwal Hon'ble Chief Minister** replied to the discussion.

7. 5.49 PM **Shri Saurabh Bharadwaj** moved the following Resolution with the leave of the House:

“The Legislative Assembly in its sitting on 16th March 2018 resolves that:

Whereas, the ongoing sealing drive in various markets in the National Capital Territory of Delhi has wreaked havoc among the traders and has left thousands of workers unemployed; and

It takes a lifetime and in many cases generations to set-up any establishment for livelihood; and

A metropolis of the size of Delhi has come up over centuries and has witnessed hard working people contributing immensely to the country’s economy; and

After 2012, the Hon’ble Supreme Court of India had given ample opportunities to the DDA and Municipal Corporations in Delhi to regularise the existing commercial establishments; The unjustified sealing drive being carried out today is a direct consequence of the negligence and inefficiency of Delhi Development Authority and Municipal Corporations of Delhi; and

Not only are the MCDs resorting to sealing of commercial establishments by force without even checking the papers/documents, but Delhi Police has also been unleashed to terrorise innocent traders and their family members, which was seen in full force in Amar Colony Lajpat Nagar recently; and

Such a state of affairs in the country’s national capital is unacceptable and an atmosphere of fear prevails in Delhi markets today;

Now therefore, this House strongly condemns the use of force and brutalities committed on innocent traders and their families; and

Demands that the ongoing sealing in various markets of Delhi be immediately stopped; and

Further resolves that the Central government should take all possible steps, including bringing a new bill/amending existing laws in the ongoing Budget Session of Parliament or Ordinance to halt sealing with immediate effect.”

Shri Vijender Gupta, Hon’ble Leader of Opposition suggested that the Resolution be amended to include changes in the Master Plan by DDA and stopping of sealing activities by the Monitoring Committee of the Hon’ble Supreme Court.

Shri Arvind Kejriwal, Hon’ble Chief Minister agreed to the suggestion.

Shri Saurabh Bharadwaj moved the following amended Resolution:

“The Legislative Assembly in its sitting on 16th March 2018 resolves that:

Whereas, the ongoing sealing drive in various markets in the National Capital Territory of Delhi has wreaked havoc among the traders and has left thousands of workers unemployed; and

It takes a lifetime and in many cases generations to set-up any establishment for livelihood; and

A metropolis of the size of Delhi has come up over centuries and has witnessed hard working people contributing immensely to the country’s economy; and

After 2012, the Hon’ble Supreme Court of India had given ample opportunities to the DDA and Municipal Corporations in Delhi to regularise the existing commercial establishments; The unjustified sealing drive being carried out today is a direct consequence of the negligence and inefficiency of Delhi Development Authority and Municipal Corporations of Delhi; and

Not only are the MCDs resorting to sealing of commercial establishments by force without even checking the papers/documents, but Delhi Police has also been unleashed to terrorise innocent traders and their family members, which was seen in full force in Amar Colony Lajpat Nagar recently; and

Such a state of affairs in the country’s national capital is unacceptable and an atmosphere of fear prevails in Delhi markets today;

Now therefore, this House strongly condemns the use of force and brutalities committed on innocent traders and their families; and

Demands that the ongoing sealing in various markets of Delhi be immediately stopped; and

Further resolves that the Central government should take all possible steps, including bringing a new bill, amending existing laws in the ongoing Budget Session of Parliament, or issuing Ordinance; and

Also resolves that DDA should suitably amend the Master Plan; and

Also resolves to request the Monitoring Committee of the Hon'ble Supreme Court to hold the sealing activities till such time as the Central Government takes suitable corrective steps."

The amended Resolution was adopted with voice vote.

8. 6.02 PM **Announcement regarding Assembly Secretary:**
The Chair announced that he had relieved Shri Prasanna Kumar Suryadevara on the request of the Hon'ble Speaker of Andhra Pradesh Assembly. He placed on record the valuable contribution of Shri Prasanna Kumar Suryadevara during his tenure.
The also announced that he had appointed Shri C. Velmurugan as Secretary till further orders. He expressed displeasure over the press release of Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition seeking to scandalise the absence of Shri Suryadevara and requested him to maintain the dignity of constitutional posts.
9. 6.06 PM **Announcement Regarding Budget:**
The Chair announced that the sitting of the House on 22 March 2018 shall commence at 12.00 Noon as the Hon'ble Deputy Chief Minister would be presenting the Annual Budget on that day.
10. 6.07 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Monday, 19 March 2018.**

**Delhi
16 March, 2018**

**C. Velmurugan
Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 / 25 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या-66

2.08 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

1. 2.09 बजे **निधन संबंधी उल्लेख :**
सदन द्वारा निम्नलिखित के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई और दो मिनट का मौन धारण किया गया:
 1. दिनांक 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सी.आर.पी.एफ के शहीद नौ जवानों और जम्मू-कश्मीर में सेना के जवानों की शहादत
 2. सुप्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टीफन हॉकिंग का दुखद निधन
2. 2.12 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात:**
सचिव, विधान सभा ने उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत की।
3. 2.13 बजे **माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव:**
श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय लोक निर्माण मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :
"कि यह सदन माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2018 को विधान सभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है"
श्री गिरीष सोनी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
4. 2.14 बजे **श्री कैलाश गहलोत के मंत्री बने रहने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :**
प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा अयोग्य घोषित होने के बावजूद श्री कैलाश गहलोत के मंत्री बने रहने के संबंध में आपत्ति किये जाने के बाद अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि दिल्ली रा राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 43(2) के साथ पठित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार श्री कैलाश गहलोत सदन का सदस्य रहे बिना छह महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में व्यवस्था दी है और इसलिए श्री कैलाश गहलोत के मंत्री बने रहने में कोई अवरोध नहीं है।
5. 2.28 बजे **प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण:**
 1. **सुश्री राखी बिडला**, माननीय उपाध्यक्ष ने **कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन** सदन पटल पर प्रस्तुत किया।
 2. **सुश्री राखी बिडला**, माननीय उपाध्यक्ष ने **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन** सदन पटल पर प्रस्तुत किया।
6. 2.30 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):**
श्री सौरभ भारद्वाज ने "सीलिंग प्रक्रिया के दौरान परिसरों की सीलिंग और पुलिस की क्रूरता के कारण दिल्ली के लोगों को **हुई पीड़ा**" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :
 1. श्री विशेष रवि
 2. श्री पंकज पुष्कर
 3. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
 4. श्री सोमनाथ भारती
 5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
 6. श्री नारायण दत्त शर्मा
 7. श्री ऋतुराज गोविंद
 8. श्री महेन्द्र गोयल
 9. श्रीमती बंदना कुमारी
 10. श्री गुलाब सिंह
 11. श्रीमती प्रमिला टोकस
 12. श्री जगदीश प्रधान
 13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
 14. सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष
 15. श्री अजय दत्त

16. श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री
17. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
18. श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. 5.49 बजे

श्री सौरभ भारद्वाज ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“विधानसभा, दिनांक 16 मार्च 2018 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

जैसा कि, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के विभिन्न बाजारों में चल रहे सीलिंग अभियान ने व्यापारियों पर कहर बरपाया है और हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया है, और

आजीविका का साधन स्थापित करने में पूरी जिंदगी और यहां तक कि कई बार पीढ़ियां तक लग जाती हैं, और

दिल्ली जैसे आकार के मेट्रोपोलिटिन सदियों में बनते हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था में गहन योगदान देने वाले कठिन परिश्रमी लोगों का साक्षी रहा है, और

वर्ष 2012 के बाद, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली के नगर निगमों को, विद्यमान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित करने के पर्याप्त अवसर दिये हैं,

वर्तमान में चलाया जा रहा अन्यायोचित सीलिंग अभियान सीधे तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगमों की लापरवाही तथा अक्षमता का परिणाम है, और

न केवल दिल्ली नगर निगम बलपूर्वक कागज/दस्तावेजों की जांच किये बिना ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग में जुटा है बल्कि दिल्ली पुलिस भी बेकसूर व्यापारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आतंकित करने के लिए मुक्त है, जो कि हाल ही में अमर कालोनी, लाजपत नगर में चरम सीमा पर देखी गई,

देश की राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी स्थिति असहनीय है और दिल्ली के बाजारों में आज भय का माहौल बना हुआ है,

इसलिए अब यह सदन, बेकसूर व्यापारियों और उनके परिवारों पर बल के प्रयोग और निर्दयता की कड़ी निंदा करता है, और दिल्ली के विभिन्न बाजारों में जारी सीलिंग को तत्काल रोकने की मांग करता है, और

यह भी संकल्प करता है कि केन्द्र सरकार को तत्काल प्रभाव से सीलिंग को रोकने के लिए, संसद के चालू बजट सत्र में नया विधेयक लाकर/विद्यमान कानूनों को संशोधित करके सभी यथासम्भव कदम उठाने चाहिए।”

श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान में परिवर्तन करने और माननीय उच्चतम न्यायालय की मोनिटरिंग कमेटी द्वारा सीलिंग की गतिविधियां रोकने के संबंध में संकल्प में संशोधन किया जाये।

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने सुझाव पर सहमति व्यक्त की।

श्री सौरभ भारद्वाज ने निम्नलिखित संशोधित संकल्प प्रस्तुत किया :

“विधानसभा, दिनांक 16 मार्च 2018 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

जैसा कि, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के विभिन्न बाजारों में चल रहे सीलिंग अभियान ने व्यापारियों पर कहर बरपाया है और हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया है, और

आजीविका का साधन स्थापित करने में पूरी जिंदगी और यहां तक कि कई बार पीढ़ियां तक लग जाती हैं, और

दिल्ली जैसे आकार के मेट्रोपोलिटिन सदियों में बनते हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था में गहन योगदान देने वाले कठिन परिश्रमी लोगों का साक्षी रहा है, और

वर्ष 2012 के बाद, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली के नगर निगमों को, विद्यमान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित करने के पर्याप्त अवसर दिये हैं,

वर्तमान में चलाया जा रहा अन्यायोचित सीलिंग अभियान सीधे तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगमों की लापरवाही तथा अक्षमता का परिणाम है, और

न केवल दिल्ली नगर निगम बलपूर्वक कागज/दस्तावेजों की जांच किये बिना ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग में जुटा है बल्कि दिल्ली पुलिस भी बेकसूर व्यापारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आतंकित करने के लिए मुक्त है, जो कि हाल ही में अमर कालोनी, लाजपत नगर में चरम सीमा पर देखी गई,

देश की राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी स्थिति असहनीय है और दिल्ली के बाजारों में आज भय का माहौल बना हुआ है,

इसलिए अब यह सदन, बेकसूर व्यापारियों और उनके परिवारों पर बल के प्रयोग और निर्दयता की कड़ी निंदा करता है, और दिल्ली के विभिन्न बाजारों में जारी सीलिंग को तत्काल रोकने की मांग करता है, और

यह भी संकल्प करता है कि केन्द्र सरकार को संसद के चालू बजट सत्र में नया विधेयक लाने, विद्यमान कानूनों को संशोधित करने या अध्यादेश जारी करने सहित सभी यथासम्भव कदम उठाने चाहिए, और

यह भी संकल्प करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए, और

जब तक केन्द्र सरकार उपयुक्त सुधारात्मक कदम नहीं उठाती तब तक माननीय उच्चतम न्यायालय की मोनिटरिंग कमेटी से सीलिंग गतिविधियां रोकने का अनुरोध करने का संकल्प करता है

संशोधित संकल्प ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

8. 6.02 बजे **विधानसभा सचिव के संबंध में घोषणा :**
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को कार्यभार मुक्त कर दिया है। उन्होंने श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिये गये सार्थक योगदान की प्रशंसा की।
अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने आगामी आदेशों तक श्री सी.वेलमुरुगन को सचिव नियुक्त कर दिया है। उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री सूर्यदेवरा की अनुपस्थिति को विवादित बनाते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के प्रति नाराजगी व्यक्त की और उनसे संवैधानिक पदों की मर्यादा बनाये रखने का अनुरोध किया।
9. 6.06 बजे **बजट के संबंध में घोषणा:**
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिनांक 22 मार्च 2018 को सदन की बैठक दोपहर 12 बजे प्रारम्भ होगी क्योंकि उस दिन माननीय उप मुख्यमंत्री वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे।
10. 6.07 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
16 मार्च, 2018

सी. वेलमुरुगन
सचिव